

This question paper contains 4 printed pages]

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. No. of Question Paper : 5237

Unique Paper Code : 241566

F

Name of the Paper : TP 4(A) : Indirect Taxes – Central Excise Law

Name of the Course : B.A. Programme

Semester : V

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।)

**Note :** Answers may be written in Hindi or English but the same medium should be followed throughout the paper.

**टिप्पणी :** इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

All questions are compulsory and carry equal marks.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा सभी के अंक समान हैं।

1. (a) Mention the basic conditions for the levy of Excise Duty ? Is there any exemption available to goods manufactured in Jammu and Kashmir ? 7
- (b) Who is a 'manufacturer' under Central Excise ? What is the significance of 'Manufacture' in Excise Duty ? 8
- (क) उत्पादन शुल्क लगाने के लिए मूल शर्तों का उल्लेख कीजिए। क्या जम्मू और कश्मीर में निर्मित वस्तुओं पर छूट उपलब्ध है ?
- (ख) केंद्रीय उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत 'निर्माता' कौन होता है ? उत्पादन शुल्क में 'निर्माता' का महत्त्व क्या है ?

P.T.O.

Or (अथवा)

- (a) 'To attract the levy of Central Excise, goods must be movable and marketable.' Discuss briefly. 7
- (b) Briefly discuss the significance of taxable event vis-à-vis removal of goods from factory/warehouse. Give *one* suitable example. 8
- (क) केंद्रीय उत्पादन शुल्क के लगाए जाने के लिए वस्तुओं को चलायमान और विपणनीय होना चाहिए। संक्षेप में विवेचन कीजिए।
- (ख) करयोग्य घटना **बनाम** फैक्ट्री/भण्डारग्रह से माल की निकासी के महत्त्व की संक्षेप में विवेचना कीजिए। एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए।
2. (a) Explain the non-applicability of 'transaction value' method with reference to section 4 of the Central Excise Act. 7
- (b) Discuss the valuation based upon Production capacity. Is it compulsory or optional ? 8
- (क) लेन-देन मूल्य विधि की अप्रयोज्यता की व्याख्या, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में कीजिए।
- (ख) उत्पादन क्षमता के आधार पर मूल्यांकन की विवेचना कीजिए। यह अनिवार्य है या वैकल्पिक ?

Or (अथवा)

- (a) Compounded Levy scheme is an optional scheme. Discuss. 7
- (b) What are those cases when MRP based valuation method is not applicable ? 8
- (क) यौगिक लेवी योजना एक वैकल्पिक योजना है। विवेचन कीजिए।
- (ख) वे कौनसे केस हैं जहाँ MRP आधारित मूल्यांकन विधि लागू नहीं है ?
3. (a) What is CENVAT credit ? What are the basic conditions for availing CENVAT credit ? 7

(b) Capital goods used exclusively for the manufacture of exempted goods are not eligible for CENVAT credit. Discuss. What is the scheme of availing CENVAT credit on capital goods ? 8

(क) CENVAT क्रेडिट क्या होती है ? CENVAT क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए मूल शर्तें क्या हैं ?

(ख) छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माता के लिए प्रयुक्त पूँजीगत वस्तुओं को CENVAT क्रेडिट के योग्य नहीं माना जाता है। विवेचन कीजिए। पूँजीगत वस्तुओं पर CENVAT क्रेडिट का प्रयोग करने की योजना क्या है ?

Or (अथवा)

(a) Mention the important documents required for the purpose of claiming CENVAT credit. 7

(b) What are the provisions for availing of CENVAT credit in case of the manufacturer of exempted as well as taxable goods ? 8

(क) CENVAT क्रेडिट की माँग करने के उद्देश्य हेतु वांछित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का उल्लेख कीजिए।

(ख) छूट प्राप्त निर्माता के केस में और साथ ही करयोग्य वस्तुओं के केस में CENVAT क्रेडिट प्राप्त करने के लिए व्यवस्थाएँ क्या हैं ?

4. (a) What is the relevance of Invoicing under Central Excise ? Mention the procedure to be followed for the cancellation of Invoices. 7

(b) Discuss the basic procedures to be followed by an assessee under Central Excise. 8

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत बीजक की सार्थकता क्या है ? बीजकों को रद्द करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा अपनाए जाने वाली मूल प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए।

Or (अथवा)

(a) Explain Self-Assessment under Central Excise ? Is there any scrutiny for correctness of duty ? 7

- (b) A manufacturer cleared 1000 units of a product by charging excise duty. The invoice provided the following details :

Price per unit	Rs. 900
Excise Duty @ 12%	Rs. 108
Total	<u>Rs. 1008</u>

However, he came to know later that the actual rate of excise duty is 12.5%. How much differential duty is payable by him, if he is not able to recover any extra amount from the customer ? 8

- (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत स्वतः निर्धारण की व्याख्या कीजिए। क्या ड्यूटी की शुद्धता के लिए कोई संवीक्षा उपलब्ध है ?
- (ख) एक निर्माता उत्पादन शुल्क लगा कर एक उत्पाद की 1000 यूनिटों का निकास कर देता है। बीजक से निम्नलिखित तहफसीलों का पता चलता है :

प्रति यूनिट कीमत	900 रु.
उत्पादन शुल्क 12% की दर से	108 रु.
योग	<u>1,008 रु.</u>

तथापि उसे बाद में पता चला कि उत्पादन शुल्क की वास्तविक दर 12.5% है। कितना विभेदक शुल्क उसे देना है यदि वह ग्राहक से कोई भी अतिरिक्त राशि वसूल न कर पा सके ?

5. Write short notes on any *three* : 3×5=15

- (i) Returns under Central Excise;
- (ii) E-Payment of Excise Duty;
- (iii) Annual Installed Capacity Statement;
- (iv) Residual Penalty under Central excise.

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत रिटर्न्स;
- (ii) उत्पादन शुल्क की ई-अदायगी;
- (iii) वार्षिक संस्थापित क्षमता कथन;
- (iv) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत अवशिष्ट जुर्माना।